

27.11.2024

बा.प. 1
पत्रावली पेश हुई मधिवक्ता उभयपक्षों को
मधिवक्ता उभयपक्ष को पत्रावली पर मुना
गया। पत्रावली का सर्वोच्चतम किया
गया। वक्त बहस मपीलोट मधिवक्ता
ने निवेदन किया कि वाद का बयाम
करने हेतु निवेदन पेश कर लिया है
इल्लिह मपील सर्वोच्चतम फलदाई पक्ष
मधिवक्ता उलहास ने निवेदन किया
कि मुल वाद खारिज हो गया है
इल्लिह मपील चलने योग्य नहीं है
इल्लिह मपील खारिज फलदाई पक्ष
पत्रावली पर मनन किया।
न्यायालय का निष्कर्ष है कि

राजस्व अपील प्राधिकारी P.T.O.
बाड़मेर

Read
Present
Adv. Sh. Moh

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

मूल वाद खादिज हो गया है इसलिए
 212 वा आवेदन है उक्त सिद्ध मधीन
 नैटेनेक नही हो लिहाजा मधीन
 खादिज की जाती है जवाबदी फेरा
 शुमार नंबर के फल देख कर वाद
 तामील तकमील काखिल फेरल हो
 ताफेरा करे इतलाय हुजाया गया

राजस्व अपील प्राधिकारी
 बाइमेर

[Faint handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

प. नं. 9